Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **ब्यावर में थानाधिकारी, पुलिस थाना बदनौर एवं कानिस्टेबल के कहने पर उनका परिचित (प्राईवेट व्यक्ति) 45 हजार रुपये रिश्वत लेते पकड़ा**
- **उपनिरीक्षक, थानाधिकारी एवं कानिस्टेबल ए.सी.बी. कार्यवाही की भनक लगने पर मौके से फरार, तलाश जारी**

जयपुर, *24 दिसम्बर, मंगलवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. की स्पेशल यूनिट–अजमेर इकाई द्वारा दिनांक 23–12–2023 को देर रात ब्यावर के बदनौर पुलिस थाना में कार्यवाही करते हुये **नारायण सिंह खिड़िया, उपनिरीक्षक थानाधिकारी एवं अशोक कुमार कानिस्टेबल, पुलिस थाना बदनौर, जिला ब्यावर** के लिये उनके परिचित कैलाश गुर्जर (प्राईवेट व्यक्ति) को परिवादी से **45 हजार रुपये** रिश्वत के रूप में लेते हुये पकड़ा है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस श्री डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि ए.सी.बी. की स्पेशल यूनिट–अजमेर इकाई को परिवादी द्वारा एक शिकायत इस आशय की दी गई कि उसके भाई व भतीजे के विरूद्ध दर्ज एन.डी.पी.एस. के मुकदमें में गिरफ्तार करने पर मारपीट नहीं करने एवं जे./सी. कराने की एवज में आरोपीगण नारायण सिंह खिड़िया, उपनिरीक्षक थानाधिकारी एवं अशोक कुमार कानिस्टेबल द्वारा **3 लाख रुपये** रिश्वत मांग कर परेशान किया जा रहा है तथा ब्यूरो द्वारा शिकायत के सत्यापन के दौरान आरोपीगण **1 लाख रुपये** रिश्वत लेने पर सहमत हुये थे।

जिस पर एसीबी अजमेर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री कालूराम रावत** के सुपरवीजन में ए.सी.बी. की अजमेर इकाई की **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती वंदना भाटी** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज स्पेशल यूनिट–अजमेर इकाई के **उप अधीक्षक पुलिस श्री राकेश कुमार वर्मा** द्वारा मय टीम के दिनांक 23–12–2023 को देर रात जिला ब्यावर के बदनौर में ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी अशोक कुमार कानिस्टेबल के कहने पर उसके परिचित कैलाश गुर्जर (प्राईवेट व्यक्ति) को परिवादी से **45 हजार रुपये (5 हजार रुपये प्रचलित भारतीय मुद्रा एवं 40 हजार के डमी केरेंसी नोट)** रिश्वत के रूप में लेते पकड़ा। मौके पर गहन जानकारी करने पर पता चला कि आरोपीगण के परिचित कैलाश गुर्जर की रिश्वत मांग में संलिप्तता नहीं थी तथा रिश्वत राशि के बारे में वह अनभिज्ञ था, अतः मौके पर उसके कथन लेखबद्ध कर एवं पूछताछ के बाद छोड़ा गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपीगण शिकायत के सत्यापन के दौरान भी परिवादी से **40 हजार रुपये** रिश्वत के रूप में वसूल चुके थे। आरोपी नारायण सिंह खिड़िया, उपनिरीक्षक थानाधिकारी एवं अशोक कुमार कानिस्टेबल ए.सी.बी. कार्यवाही की भनक लगने पर मौके से फरार हो गये, जिनकी तलाश की जा रही हैं।

एसीबी की **अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव** के सुपरवीजन में आरोपीगण की तलाश एवं कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।